

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 535/वेबसाइट/2016-17-रा.भा.

दिनांक: 10 जनवरी, 2017

## अनुवाद कार्य के लिए निविदा सूचना

भारत निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए प्रतिष्ठित अनुवाद फर्मों/एजेंसियों से निविदा अनुसूची में उल्लिखित निविदा विनिर्देशों के अनुसार मुहरबंद निविदा आमंत्रित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग में आवेदन की प्राप्ति की आखिरी तारीख 17 फरवरी, 2017 है। विवरणों के लिए आयोग की वेबसाइट <http://eci.nic.in> पर [eci.nic.in/ecih/ecih.html](http://eci.nic.in/ecih/ecih.html) तथा [eci.nic.in/eci\\_main1/h/tender.aspx](http://eci.nic.in/eci_main1/h/tender.aspx) लिंक के अधीन लॉग इन करें।

ह./-

**(रचना गुप्ता)**

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 535/वेबसाइट/2016-17-रा.भा.

दिनांक : 10 जनवरी, 2017

## निविदा सूचना

विषय: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट के लगभग 6700 पृष्ठों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद एवं उनका हिंदी टंकण करने के लिए संबंधित फर्मों/कम्पनियों से कुटेशन आमंत्रित करना-तत्संबंधी।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट के लगभग 6700 पृष्ठों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद एवं उनका हिंदी टंकण करने के लिए अनुवाद फर्मों/एजेंसियों से भारत निर्वाचन आयोग कुटेशन आमंत्रित करता है। हालांकि, कार्य की मात्रा में 25 प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है।

2. प्राधिकार संबंधी पात्रता मानदंड के समर्थन में सभी दस्तावेज फर्म/एजेंसी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के पास विचार करने के लिए भेजा जाना चाहिए। निविदाकारों को उनके स्वयं के हित में सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के साथ वांछित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर उनकी बोलियां गैर-जिम्मेवार घोषित की जा सकती हैं/निरस्त की जा सकती हैं।

3. रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये केवल) की धरोहर जमा राशि, निविदा के साथ *वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग* के नाम में मूल रूप में एक मुहरबंद लिफाफे जिस पर "भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के 6700 पृष्ठों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद एवं टंकण करने का प्रस्ताव" शब्द अंकित हो, में अवश्य भेजी जानी चाहिए और उसे श्रीमती रचना गुप्ता, संयुक्त निदेशक (रा.भा.), भारत निर्वाचन आयोग, कमरा सं. 611, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किया जाना चाहिए। मुहरबंद निविदाएं निर्वाचन सदन के भू-तल पर स्थित प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग में भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। सभी प्रकार से पूर्ण निविदाएं दिनांक 17 फरवरी, 2017 को 15:00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग डाक संबंधी हानि/देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

निविदा दो बोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के अंतर्गत आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक एजेंसियों को सुझाव दिया जाता है कि वे दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे प्रस्तुत करें जिन पर क्रमशः "भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से संबंधित लगभग 6700 पृष्ठों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद एवं उनका टंकण करने के लिए तकनीकी बोली" और "भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से संबंधित लगभग 6700 पृष्ठों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद एवं उनका टंकण करने के लिए वित्तीय बोली" अंकित होना चाहिए। दोनों मुहरबंद लिफाफे तीसरे मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने चाहिए जिस पर "भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से संबंधित लगभग 6700 पृष्ठों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद एवं उनका टंकण करने के लिए निविदा" अंकित होना चाहिए।

4. निविदा, निविदाकारों के प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, जो उस समय वहां उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा निर्वाचन सदन के कमरा संख्या 601 में उसी दिन अर्थात् 17 फरवरी, 2015 को 16:00 बजे खोली जाएगी। केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां व्यवस्थित रूप में होंगी। पात्र फर्मों की वित्तीय बोलियों को खोले जाने के बारे में सूचना बाद में दी जाएगी। ऐसे

निविदाकार, जो उपस्थित रहने के इच्छुक हैं, की उपस्थिति में आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई समिति वित्तीय बोलियों को खोलेगी।

5. सफल बोलीदाता को नियमानुसार निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी।

6. भारत निर्वाचन आयोग के पास किसी भी समय/चरण में निविदा को निरस्त करने या कोई भी कारण बताए बिना निविदा दस्तावेजों में निहित किसी भी नियमों एवं शर्तों में ढील देने/संशोधन करने/वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित है। बोलियों को प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली वापिस लेने की स्थिति में ई एम डी जब्त कर ली जाएगी।

7. तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली के विवरण क्रमशः अनुबन्ध क तथा ख में रखे गए हैं।

8. सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (<http://eci.nic.in>) से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा से संबंधित किसी भी शुद्धि-पत्र के जारी किए जाने संबंधी सूचना भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

### **अन्य नियम एवं शर्तें:**

9. इस कार्य के लिए इच्छुक अनुवाद एजेंसियों का इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा की गई स्क्रीनिंग के आधार पर चयन किया जाएगा। उनके पास अनुवाद कार्य के लिए अपेक्षित सुविधाएं, उपस्कर और मैनपावर होने चाहिए। आवेदनों के साथ अनुवाद सेवाओं में संगत अनुभव (प्रमाण पत्रों, यदि कोई हो, सहित) प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

**10. निविदा में भाग लेने वाली उन अनुवाद फर्मों/एजेंसियों जिन्हें तकनीकी बोली स्तर पर लघुकृत सूचीबद्ध किया गया है, की अनुवाद क्षमताओं की जांच-परख करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के परिसर में अनुवाद परीक्षा ली जा सकती है। यह अनुवाद एजेंसी को चयनित करने के मानदंडों में से एक मानदंड हो सकती है। तकनीकी बोली खुलने की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद, अनुवाद परीक्षा की तारीख के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।**

11. भारत निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व अनुवाद के लिए सामग्री उपलब्ध कराए जाने तक सीमित होगा। निविदत्त कार्य के लिए अपेक्षित अन्य सभी उपस्करों/साफ्टवेयरों की व्यवस्था एजेंसियों/फर्मों द्वारा अपने आप की जाएगी। साथ ही, समय-सीमा या अनुवादों की सटीकता में कोई चूक होने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिर्णीत वित्तीय जुर्माना निहित होगा।

**12. अनुवाद एजेंसी/फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि यह कार्य शीघ्रतिशीघ्र और अधिक से अधिक निर्देशित समय-सीमा के भीतर, पूरा किया जाए और इसे अनूदित किया जाना होगा, प्रस्तुत करने योग्य रूप में व्यवस्थित करना होगा और भारत निर्वाचन आयोग को उसी रूप में या कोई अन्य पूर्व-निर्देशित/निर्णीत फार्मेट में लौटाना होगा जो मुद्रण और/या वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के उपयुक्त हो।**

13. इसलिए, एजेंसी के पास अनूदित की जाने वाली सामग्री को एक फाइल फार्मेट से निकालने और उसे भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा के अनुसार उसी या भिन्न फाइल फार्मेटों में उपलब्ध कराने की क्षमताएं होनी चाहिए।

14. इस तरह अनूदित की जाने वाली सामग्री की, उसकी प्रामाणिकता के लिए जरूरी प्रूफ चेकिंग करने का दायित्व अनुवाद एजेंसी का होगा। लापरवाही की दशा में, उसे व्यवसाय नीति का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर विधिवत रूप से विधिक कार्रवाई की जाएगी।

15. इस तरह चयनित एजेंसी को हमारी वेबसाइट (टों) पर डाली गई या अन्यत्र रिलीज किए गए नए मामलों के सतत आधार पर अनुवाद करने का कार्य भी सौंपा जा सकता है और इसके लिए उनके अनुवादकों व टंककों को

आवश्यकतानुसार कभी भी निर्वाचन आयोग परिसर में कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है जिसके लिए उसी अनुमोदित दर पर भुगतान किया जाएगा।

16. कभी-कभी सामग्री का अनुवाद, सामग्री के आकार/मात्रा/तात्कालिकता के आधार पर, अत्यन्त कम अवधि में (एक दिन या घंटों के भीतर) उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की जा सकती है।

17. निविदाकार निविदा दस्तावेज की तकनीकी बोली के साथ पैन/टिन, वैट पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत करेंगे।

18. निविदा में किसी भी कटिंग/अधिलेखन पर, निविदाकार के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कंपनी मुहर सहित अवश्य हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

19. निविदा प्रपत्र का मूल्य शून्य है। निविदा हस्तांतरणीय नहीं है।

20. चयनित एजेंसी अपने परिसर से काम करेगी। निविदत्त कार्य के लिए अपेक्षित सभी मैनपावर/उपस्करों/हार्डवेयरों/साफ्टवेयरों की एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर व्यवस्था की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग अनुवाद कार्य के लिए कोई भी ऑफिस स्पेस, कम्प्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन आदि की व्यवस्था नहीं करेगा।

21. चयनित एजेंसी को विनिर्धारित समय के भीतर अनुवाद की हार्ड कॉपी (स्पष्ट रूप से टंकित) और साफ्ट कॉपी (सीडी) दोनों प्रस्तुत करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग इस प्रयोजन के लिए कोई भी स्टेशनरी, पेपर, सीडी आदि उपलब्ध नहीं कराएगा।

22. बोलियों में प्रति शब्द अनुवाद प्रभार (जिसमें अनुवाद प्रभार, सटीकता के लिए जांच किया जाना और टंकण शामिल हैं) उद्धृत किए जाने चाहिए। सहमत अनुवाद प्रभारों के अलावा कार्य से जुड़े किसी कार्यकलाप/विजिट के लिए कोई भी अन्य भुगतान, चाहे वह कुछ भी हो, नहीं किया जाएगा।

23. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एजेंसी के अनुवाद की गुणवत्ता और सटीकता की जांच की जाएगी। त्रुटि-सुधार, यदि कोई हों, एजेंसी द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किए जाने होंगे और शुद्ध किए गए रूप की हार्ड कॉपी और साफ्ट कॉपी दोनों फिर से प्रस्तुत की जानी होगी। त्रुटि-सुधारों और पुनर्मुद्रण के लिए कोई भी भुगतान/प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

24. कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान सभी दृष्टियों से पूर्ण और भारत निर्वाचन आयोग की संतुष्टि के अनुरूप अंतिम रूप से स्वीकृत रूप के प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

25. संविदा की अवधि एक वर्ष अर्थात् **01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018** तक है जो संतोषजनक कार्य-निष्पादन और भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा के अनुसार आगे और एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

26. भारत निर्वाचन आयोग को बिना कोई कारण बताए और भारत निर्वाचन आयोग की कोई भी देयता के बगैर, किसी भी समय-बिंदु पर संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा।

27. सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे पहली ही नजर में सीधे-सीधे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

28. विलंब से प्राप्त और ऊपर अनुच्छेदों में वर्णित अपेक्षाओं के अनुसार प्राप्त न होने पर आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। डाक में हुए विलम्ब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग तकनीकी और वित्तीय पूर्णता पर या उपयुक्त समझे गए किन्हीं अन्य कारण से सभी या किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

ह./-

(रचना गुप्ता)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

## तकनीकी बोली

1. निविदा संदर्भ सं. : .....
2. निविदाकार का नाम : .....
3. ऑफर, नीचे यथा-निर्दिष्ट मर्दानों की अपेक्षाओं की अनुसूची के लिए दरों के साथ, प्रस्तुत किए जाने हैं। नीचे दिए गए फार्मेट का अनुपालन करना आपके कुटेशन पर विचार किए जाने की पूर्व-अपेक्षा है।
4. निविदाकार के कार्यालय का पूरा पता :  
.....  
.....
5. निविदाकार के उस अधिकृत व्यक्ति के संपर्क विवरण जिन्होंने निविदा पर हस्ताक्षर किए हैं:
  - ( ) नाम :
  - ( ) पदनाम :
  - ( ) फोन (कार्यालय) :
  - ( ) मोबाइल नं. :
  - ( ) ई-मेल पता :
6. धरोहर-राशि जमा भुगतान विवरण (डीडी संख्या एवं बैंक विवरण)  
.....  
.....(डीडी मूल रूप में संलग्न किया जाना है)
7. तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज नीचे दिए गए हैं :
  - ( ) अपनी स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप निविदा दस्तावेजों के विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगे सभी पृष्ठ।
  - ( ) पैन/वैट/टिन की प्रतियां
  - ( ) अनुबंध 'ग' के अनुसार पत्र शीर्ष पर वचन-पत्र
  - ( ) सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में काम करने के अनुभव के समर्थन में संगत दस्तावेज।

**रबड़ की मोहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर**

दिनांक : .....

स्थान : .....

## वित्तीय बोली

1. निविदा संदर्भ सं. ....
2. निविदाकार का नाम .....
3. ऑफर, नीचे यथा-निर्दिष्ट मदों की अपेक्षाओं की अनुसूची के लिए दरों के साथ, प्रस्तुत किए जाने हैं। नीचे दिए गए फार्मेट का अनुपालन करना आपके कुटेशन पर विचार किए जाने की पूर्व-अपेक्षा है।

क्रम सं.	मद	मात्रा	टंकण इत्यादि सहित प्रति 1000 शब्द प्रभार (रुपये में)	कुल प्रभार (रुपये में)	यदि स्रोत (अंग्रेजी) पृष्ठों की कुल संख्या 6700 से अधिक हो तो प्रति हजार शब्द दर (प्रभार)
1.	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से संबंधित लगभग 6700 पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद तथा उसके हिन्दी टंकण के लिए संबंधित फर्मों/कम्पनियों से कुटेशन आमंत्रित करना-तत्संबंधी।	6700 पृष्ठ* लगभग (प्रति पृष्ठ लगभग 300 शब्दों में के औसत के साथ)  *टिप्पणी : पृष्ठों की कुल संख्या जरूरत के अनुसार बढ़/घट सकती है।			

उपर्युक्त उद्धृत कीमत में मूल कीमत तथा सभी कर एवं शुल्क (यथा-अनुप्रयोज्य) शामिल होने चाहिए। वित्तीय बोली का विश्लेषण करते समय प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य को समुचित महत्व दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग बिक्री कर/वैट की छूट/अपवर्जन के लिए किसी भी प्रकार का फार्म जारी नहीं करेगा।

एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि हम निविदा में यथा-विनिर्दिष्ट सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे और इसके अतिरिक्त, हम, हमारी ओर से पूर्ति में देरी होने की दशा में, अधिरोपित की जाने वाली पेनाल्टी, जैसा कि इस निविदा के "अन्य नियम एवं शर्तों" के बिन्दु (II) में यथा-विनिर्दिष्ट है, के लिए सहमत हैं।

रबड़ की मोहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर

**वचन-पत्र**  
**(कम्पनी पत्र-शीर्ष पर)**

1. अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि मैंने ऊपर उल्लिखित नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनका अनुपालन करने का वचन देता हूँ। मेरे द्वारा उद्धृत की गईं दरें वैध हैं।
2. यह कि अनुवाद सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का होगा और बोली दस्तावेजों के तकनीकी विनिर्देशन में विनिर्दिष्ट संस्थान की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। अनुवाद की गुणवत्ता और प्रकार के संबंध में, भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय मेरे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
3. इसमें निहित शर्तें करार का हिस्सा बनेंगी और इस रूप में ली जाएंगी कि मानो वे निष्पादित किए जाने वाले करार में शामिल हैं या भारत निर्वाचन आयोग के विवेकाधिकार में करार के रूप में ही मानी जाएंगी।
4. भारत निर्वाचन आयोग, यदि आवश्यक समझता है तो किसी भी अनुवाद को घटिया गुणवत्ता का पाए जाने पर उसे हमारी कम्पनी/फर्म से बदलने की अपेक्षा करेगा और मेरे द्वारा उसे असुविधा से बचने के लिए समय रहते बदला जाएगा।
5. मैं वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा उद्धृत किए गए मूल्य न्यूनतम हैं और मैंने भारत में कहीं भी उससे कम मूल्य उद्धृत नहीं किया है।
6. मैं यह भी वचन देता हूँ कि हम पिछले 2 वर्ष से किसी भी सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी भी कारण से चूककर्ता नहीं हैं।

**रबड़ की मोहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर**